संख्या– /33–3–2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, अमेठी, कौशाम्बी, कुशीनगर, आजमगढ़, अमरोहा, सम्भल, हापुड़, शामली, चन्दौली, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, एटा, चित्रकूट, भदोही, रायबरेली, फर्रूखाबाद, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं अम्बेडकरनगर।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः अगस्त, 2025

विषय–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत स्थापित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) में कार्यरत रिसोर्सेज की योग्यता निर्धारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) संचालन के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–01/2021/3023/33–3–2020 –10जी0आई0/2015 टी.सी.–। दिनांक 08 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार समस्त 25 जनपदों यथा–फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, अमेठी, कौशाम्बी, कुशीनगर, आजमगढ़, अमरोहा, सम्भल, हापुड़, शामली, चन्दौली, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, एटा, चित्रकूट, भदोही, रायबरेली, फर्रूखाबाद, बलरामपुर, श्रावस्ती में जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर एवं जनपद–अम्बेडकरनगर में क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर (आर.पी.आर.सी.) का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है, जिसमें फैकल्टी एवं कार्यालय सहायक के साथ आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाएं ली जा रही है।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 की स्वीकृत कार्ययोजना में प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकताओं के दृष्टिगत एक सहायक/अतिरिक्त फैकल्टी–एल.एस.डी.जी. एवं समस्त रिसोर्स सेंटर में प्रशासनिक स्टाफ–कम्प्यूटर ऑपरेटर कम आफिस असिस्टेंट की सेवाएं लिये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

3– तत्क्रम में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) एवं क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर (आर.पी.आर.सी.) को आउटसोर्सिंग पर सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नवत् शैक्षिक योग्यता/आयु/मानदेय निर्धारित किया जाता हैः–

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	आयु	मानदेय (रू0)	चयन का स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक / अतिरिक्त फैकल्टी –एल.एस.डी.जी.	26	<u>अनिवार्य योग्यता</u> ● एम.बी.ए. / एम.एस.डब्लू. / समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, लोक प्रशासन या अन्य सोशल साइंस संबंधी विषयों में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक। ● पेयजल एवं स्वच्छता सम्बंधी क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ पंचायती राज विभाग के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता। ● प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता व अन्य समान कार्यों / भूमिकाओं में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव। ● शासकीय / अशासकीय संस्था में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय का अनुभव। ● एम.एस. ऑफिस प्रवीणता एवं इंटरनेट का ज्ञान। <u>अधिमानी योग्यता</u> ● प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वयं के स्तर से पूरा करने की क्षमता (आवश्यकताओं का आंकलन, योजना बनाना,	30–60 वर्ष	रू0 27000 / – (समस्त कर एवं शुल्क अतिरिक्त)	**निदेशक, पंचायती राज द्वारा गठित समिति** (निदेशालय स्तर पर आउटसोर्सिंग से मैन पावर की सेवाओं हेतु इम्पैनल्ड संस्था के माध्यम से)

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	आयु	मानदेय (रू0)	चयन का स्तर
			प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि) ● पारम्परिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण विधियों से परिचित होना। ● उत्तम संवाद निपुणता।			
2	प्रशासनिक स्टाफ–कम्प्यूटर ऑपरेटर कम आफिस असिस्टेंट	26	● स्नातक के साथ सी.सी.सी./ डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ–साथ हिन्दी (25) एवं अंग्रेजी (30) में टाइपिंग स्पीड।	18–45 वर्ष	रू0 18000/– (समस्त कर एवं शुल्क अतिरिक्त)	**निदेशक, पंचायती राज द्वारा गठित समिति** (निदेशालय स्तर पर आउटसोर्सिंग से मैन पावर की सेवाओं हेतु इम्पैनल्ड संस्था के माध्यम से)

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर एवं क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु श्रम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–01/2021/3023/33–3 –2020–10 जी0आई0/2015 टी.सी.–I दिनांक 08 जनवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या–I/295497/2023/छत्तीस/5–2023–36–5010(099)/3/2020–5 दिनांक 29 मार्च, 2023 में विहित व्यवस्था तथा जेम नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदों के अनुरूप सहायक/अतिरिक्त फैकल्टी–एल.एस.डी.जी. एवं प्रशासनिक स्टाफ–कम्प्यूटर ऑपरेटर कम आफिस एसिस्टेंट की सेवायें सम्बन्धित डी.पी.आर.सी./आर.पी.आर.सी. में लिया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 25-08-2025
18:51:55

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव एवं कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 25-08-2025
20:10:54

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।